



भुगतान एग्रीगेटर के रूप में PayU को मंजूरी

[स्रोत: बज़िनस स्टैंडर्ड](#)

चर्चा में क्यों?

फनिकेक फर्म PayU ने हाल ही में घोषणा की है कि उसे भुगतान एवं नपिटान प्रणाली (Payment and Settlement System- PSS) अधिनियम, 2007 के तहत [भुगतान एग्रीगेटर \(Payment Aggregator- PA\)](#) के रूप में कार्य करने के लिये [भारतीय रज़िर्व बैंक \(RBI\)](#) से सैद्धांतिक मंजूरी मलि गई है।

- **RBI से सैद्धांतिक मंजूरी** PayU को नए व्यापारियों को शामिल करने की अनुमति देती है, फरि भी अंतमि मंजूरी में आमतौर पर छह माह से एक वर्ष तक का समय लगता है।

भुगतान एग्रीगेटर क्या होता है?

परचिय:

- PA व्यवसायों और वत्तीय संस्थानों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है, व्यापारियों की ओर से भुगतान की प्रक्रिया को भी संभालता है।
 - एक PA व्यवसायों के लिये इलेक्ट्रॉनिक भुगतान स्वीकार करने की प्रक्रिया को सरल बनाता है।
- PA भुगतान स्वीकृति प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करते हैं, जसिसे व्यवसायों को वत्तीय संस्थाओं के साथ सीधे संबंध स्थापति करने की जटलिताओं से बचने की अनुमति मिलती है।
- वे व्यवसायों को एक ही मंच के माध्यम से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ई-वॉलेट और बैंक अंतरण सहति वभिन्न भुगतान वधियों को स्वीकार करने में सक्षम बनाते हैं।
- PA के कुछ उदाहरणों में Google Pay, Amazon Pay, Phone pe और PayPal आदि शामिल हैं।

पूँजी आवश्यकताएँ:


- नए PA के पास आवेदन के समय न्यूनतम शुद्ध संपत्ति 15 करोड़ रुपए होनी चाहिये और प्राधिकरण के बाद तीसरे वत्तीय वर्ष के अंत तक 25 करोड़ रुपए तक पहुँचनी चाहिये।

प्राधिकरण प्रक्रिया:

- जबकि बैंक अपने सामान्य बैंकगि संबंधों के भाग के रूप में PA सेवाएँ प्रदान करते हैं और उन्हें अलग से प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं होती है, गैर-बैंक PA को भुगतान एवं नपिटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (PSS) के तहत RBI से प्राधिकरण प्राप्त करना होगा।

नपिटान और नलिंब (escrow) खाता प्रबंधन:

- गैर-बैंक PA को एक [अनुसूचति वाणजियकि बैंक](#) के [नलिंब खाते](#) में एकत्रित धन को बनाए रखना अनविर्य है।
 - PA को लेनदेन के चक्र और सहमत शर्तों के आधार पर व्यापारियों के साथ वत्ति के नपिटान के लिये वशिष्ट समयसीमा का पालन करना होगा।



नोट:

- PA के वपिरीत, **भुगतान गेटवे (PG)** वतित को संभाले बनिा ऑनलाइन भुगतान लेनदेन का आदान- प्रदान करने और प्रक्रिया की सुवधि प्रदान करने के लयि प्रौद्योगिकी बुनयिादी ढाँचा प्रदान करते हैं ।
 - दूसरी ओर, भुगतान एग्रीगेटर व्वापारियों को भुगतान गेटवे की कारयकषमता को कवर करते हुए, अपने पोर्टल पर कई भुगतान वकिलूप रखने की अनुमति देते हैं ।

वतिरण का आधार	भुगतान गेटवे	भुगतान एग्रीगेटर
भूमिका	व्वापारी तथा बैंक के मध्य कारय करने वाला नेटवर्क ।	शुरू से अंत तक भुगतान प्रक्रियाओं को सुवयवस्थति करने का एक समाधान ।
भुगतान वकिलूप	प्राथमकि रूप से डेबिट/क्रेडिट कार्ड से भुगतान ।	कई वकिलूप प्रदान करता है: UPI, डेबिट/क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकगि आदि ।
एकीकरण	व्वापारी प्रत्येक भुगतान पद्धति अथवा बैंक को अलग-अलग एकीकृत करते हैं ।	एकीकरण हेतु केवल एक सेवा प्रदाता के साथ साझेदारी की आवश्यकता होती है ।
उपलब्ध सेवाएँ	लेन-देन प्रसंस्करण सेवाएँ ।	रपिोर्ट, ग्राहक सहायता इत्यादि तिक पहुँच जैसी अतरिकित सेवाओं के साथ-साथ लेन-देन प्रसंस्करण प्रदान करता है ।
वतित प्रबंधन	वतित का संचय नहीं करता; एन्क्रिप्टेड भुगतान डेटा सुरक्षति रूप से संचारति करता है ।	वतितय लेन-देन के लयि व्वापारी पहचान संख्या (MID) का उपयोग करता है । ये ऐसे लेनदेन होते हैं जो एग्रीगेटर की प्रणाली द्वारा नियंत्रति कयि जाते हैं ।
उदाहरण	एक्ससि बैंक, एचडीएफसी बैंक, MPGS (मास्टरकार्ड भुगतान गेटवे) ।	PhonePe PG, स्ट्राइप, कैशफ्री ।

भुगतान और नपिटान प्रणाली (PSS) अधनियिम, 2007:

- PSS अधिनियम, 2007, भारत में भुगतान प्रणालियों के वनियमन एवं पर्यवेक्षण का प्रावधान करता है और साथ ही RBI को सभी संबंधित मामलों के लिये प्राधिकरण के रूप में नामित करता है।
- इस अधिनियम के तहत रज़िर्व बैंक को अपने केंद्रीय बोर्ड की एक समिति का गठन करने के लिये अधिकृत किया गया है, जिसे भुगतान और नपिटान प्रणाली (BPSS) के वनियमन एवं पर्यवेक्षण हेतु एक बोर्ड के रूप में जाना जाता है, ताकि वह अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सके तथा इस कानून के तहत अपने कार्यों एवं कर्तव्यों का निर्वहन कर सके।
- PSS अधिनियम, 2007 की धारा 4 के अनुसार केवल रज़िर्व बैंक ही भुगतान प्रणाली के संचालन को अधिकृत कर सकता है। भुगतान प्रणाली संचालित करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को PSS अधिनियम, 2007 की धारा 5 के तहत प्राधिकरण के लिये आवेदन करना होगा।
- PSS अधिनियम 2007 वदेशी संस्थाओं को भारत में भुगतान प्रणाली संचालन को प्रतबंधित नहीं करता है। यह अधिनियम वदेशी एवं घरेलू संस्थाओं के बीच भेदभाव नहीं करता है।
- प्राधिकरण के बिना भुगतान प्रणाली का संचालन, रज़िर्व बैंक के निर्देशों का अनुपालन न करना अथवा PSS अधिनियम, 2007 के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर रज़िर्व बैंक द्वारा आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

?????????:

प्रश्न. डजिटल भुगतान के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि: (2018)

1. भीम (BHIM) ऐप उपयोग करने वालों के लयि यह एप U.P.I. सक्षम बैंक खते से किसी को धन अंतरण करना संभव बनाता है।
2. जहाँ एक चपि-पनि डेबटि कार्ड में प्रमाणीकरण के चार घटक होते हैं, BHIM एप में प्रमाणीकरण के सरिफ दो घटक होते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (a)

प्रश्न. नमिनलखिति में से कौन 'एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI)' को लागू करने का सबसे संभावति परणाम है? (2017)

- (a) ऑनलाइन भुगतान के लयि मोबाइल वॉलेट की आवश्यकता नहीं होगी।
- (b) लगभग दो दशकों में पूरी तरह से भौतिक मुद्रा का स्थान डजिटल मुद्रा ले लेगी।
- (c) FDI के अंतरवाह में भारी वृद्धि होगी।
- (d) नरिधन व्यक्तियों को उपदानों (सब्सिडीज़) का प्रत्यक्ष अंतरण बहुत प्रभावकारी हो जाएगा।

उत्तर: (a)

प्रश्न. नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि: (2017)

1. भारतीय राष्ट्रिय भुगतान नगिम (NPCI) देश में वतितीय समावेशन के संवर्द्धन में सहायता करता है।
2. NPCI ने एक कार्ड भुगतान स्कीम RuPay प्रारंभ की है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/payu-gets-approval-as-payment-aggregator>

